समृद्ध किसान सशक्त मध्यप्रदेश

कृषक कल्याण वर्ष-2026 I प्राकृतिक खेती, ड्रोन तकनीक व डिजिटल गवर्नेंस पर फोकस के साथ कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदलने की दिशा में आगे बढ़ रही सरकार

कृषि के लिए ₹1.15 लाख करोड़ का प्लान, 15 विभाग मिलकर बदलेंगे खेती की तस्वीर

भोपाल

कृषि और किसान कल्याण मध्यप्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को आधिकारिक तौर पर 'कृषक कल्याण वर्ष' घोषित किया है। इस विशेष वर्ष के नीतिगत संकल्पों को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार ने कृषि और उससे जुड़े संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है। कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार का यह निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कृषि को लेकर उस समग्र दृष्टिकोण और दूरदर्शी सोच को समर्पित है, जिसमें वे पारंपरिक खेती के आधुनिकीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और किसानों की आय दोगुनी करने पर विशेष बल देते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कहते हैं, "देश में अन्न, फल, सब्जी, मसाले, दूध व फूल उत्पादन में बेजोड़ पहचान रखने वाला हमारा प्रदेश अब नई सोच के साथ इस क्षेत्र में और मजबूत हो, इसके लिए राज्य सरकार कई मजबूत कदम उठा रही है।"

अब एक मंच पर 15 विभाग

कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव के लिए प्रदेश के 15 प्रमुख विभागों को एक ही मंच पर लाया गया है। इसमें कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य विकास, सहकारिता, जल संसाधन, राजस्व और ऊर्जा विभाग शामिल हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि योजनाएं अब फाइलों में नहीं अटकतीं, बल्कि तेज गति से पूरी होती हैं।

तकनीक और इनोवेशन पर जोर

इस पूरे अभियान का फोकस बड़े किसानों के साथ ही छोटे और सीमांत किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीक व सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके जरिए छोटी जोत वाले किसानों की आधुनिक ड्रोन जैसी तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित की गई है। कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी की प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है। गेहूं उपार्जन में रिकॉर्ड स्थापित करने के बाद अब सरकार का पूरा ध्यान फसल विविधीकरण पर केंद्रित है।

किसानों के लिए 3 बड़े फायदे

1. **दोहरी आय के साधनः** पारंपरिक फसलों के साथ फल, सब्जी, दूध व मछली पालन को विशेष बढ़ावा मिलने से किसानों के लिए अतिरिक्त आय का रास्ता खुला है।
2. **लागत में भारी कमीः** हर ब्लॉक में प्राकृतिक खेती के क्लस्टर बनने से खाद का खर्च होगा शून्य
3. **विवादमुक्त भू-अधिकारः** डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कृषि निवेश को सीधा प्रोत्साहन

अन्नदाता का सम्मान... बड़वानी में पहली कृषि कैबिनेट की बैठक में ₹27,500 करोड़ की सौगातें

फसल ऋण चुकाने के लिए 12 महीने, 0% ब्याज जारी; जमीन अधिग्रहण पर अब 4 गुना मुआवजा

भोपाल

मध्यप्रदेश सरकार ने 'कृषक कल्याण वर्ष 2026' के नीतिगत फैसलों को धरात पर उतारना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में नीतियों को सीधे किसानों के खेतों और गांवों के बीच जाकर उनके अनुरूप बनाने के लिए बड़वानी में प्रदेश की पहली ऐतिहासिक कृषि कैबिनेट आयोजित की गई। बैठक में किसानों के हित कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा भी की गई। इसके तहत छोटे किसानों को अब फसल ऋण चुकाने के लिए पूरे 12 महीने मिलेंगे। इसके साथ ही 0% ब्याज और जमीन अधिग्रहण में बाजार दर पर 4 गुना मुआवजा जैसे अहम कदम कृषि क्षेत्र की सूरत बदलने वाले साबित होंगे। बैठक में सूबे के संपूर्ण कृषि परिदृश्य को बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। इसके तहत कृषि के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और सिंचाई नेटवर्क के तीव्र विस्तार के लिए ₹27,500 करोड़ की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है, जो राज्य के प्रशासनिक इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है।

बड़वानी में हुई पहली कृषि कैबिनेट में सीएम डॉ. मोहन यादव व मंत्रीगण।

कर्ज के दबाव से मुक्ति, सही समय पर सही दाम में बेचिए अपनी उपज

छोटे किसानों को बड़ा फायदाः अब औने-पौने दाम पर फसल बेचने के दबाव खत्म
ऋण पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर के साथ वार्षिक एकल ऋण सीमा लागू की गई है। इससे छोटे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें ऋण लेने की तिथि से उसका भुगतान करने के लिए पूरे 12 महीने का पर्याप्त समय मिलेगा। इस व्यवस्था से किसानों पर फसल कटते ही औने-पौने दाम में उपज बेचकर कर्ज चुकाने का मानसिक दबाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और वे सही समय पर सही दाम में उपज बेच सकेंगे।

लागत पर मुनाफाः कंबाइन हार्वेस्टर्स को टोल से राहत
कृषि कार्यों में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को गहराई से समझते हुए सरकार ने कंबाइन हार्वेस्टरों को मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के सभी टोल प्लाजा पर शुल्क संग्रहण से पूर्णतः छूट दे दी है, जिससे हार्वेस्टर संचालकों और किसानों की लागत घटेगी।

सामाजिक सुरक्षा पर फोकसः कृषि यंत्रीकरण के 2800 करोड़ से ज्यादा
कपास उत्पादकों को बड़ी राहत देते हुए खंडवा और बुरहानपुर की मंडियों में मंडी शुल्क को 1 रुपये से घटाकर मात्र 55 पैसे प्रति सौ रुपये करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि यंत्रीकरण को नई गति देने के लिए आगामी 5 वर्षों हेतु 2,868 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जो साबित करती है कि सरकार का फोकस केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि अन्नदाता की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

किसान हित में 5 बड़े फैसले

1. रबी व खरीफ में खाद की पर्याप्त उपलब्धता और फसल बीमा के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट मंत्रियों की उच्च स्तरीय विशेष समिति गठित।
2. प्राइस सपोर्ट स्कीम के सुरक्षा कवच से प्रदेश के 91 हजार से अधिक किसानों से 2.71 लाख मीट्रिक टन चने की रिकॉर्ड खरीदी पूरी।
3. मूल्य समर्थन के तहत 76 हजार 500 से अधिक किसानों से 1.85 लाख मीट्रिक टन मसूर का सफल उपार्जन कर सीधा आर्थिक लाभ दिया गया।
4. समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी के साथ ही ₹ 600 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त बोनस पर उड़द का शत-प्रतिशत उपार्जन सुनिश्चित।
5. 10.76 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड बांटने के साथ ब्लॉक स्तर पर 265 नई मिट्टी परीक्षण लैब्स शुरू।

पारदर्शिता की नई मिसाल

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत खातों में बिना कटौती के सीधे पहुंच रही आर्थिक सहायता

डीबीटी से 84 लाख किसानों के खातों में पहुंचे ₹53 हजार करोड़

भोपाल

मध्यप्रदेश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधे बैंक खातों में राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के जीवन स्तर को पूरी तरह से बदल दिया है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा डिजिटल गवर्नेंस नेटवर्क के माध्यम से प्रदेश के 84 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में अब तक ₹53,076 करोड़ की विशाल और ऐतिहासिक राशि सफलतापूर्वक अंतरित की जा चुकी है, जिससे बिचौलियों और कमीशनखोरी की संभावनाएं पूरी तरह समाप्त हो गई हैं।

आधिकारिक बजटीय और विभागीय आंकड़ों के अनुसार, योजना के प्रारंभ वर्ष 2019-20 से लेकर अब तक केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश

के 84 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों के खातों में ₹32,198 करोड़ से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। इसी के समांतर कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा अपनी ओर से संचालित मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत भी 84 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में अब तक की 14 किस्तों में कुल ₹20,878 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया जा चुका है। इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक पहलू यह है कि खरीफ और रबी सीजन की बुआई के ठीक पहले यह वित्तीय सहायता बिना किसी प्रशासनिक विसंगति के सीधे किसानों के पास पहुंचती है।

इससे किसानों को उन्नत बीज, जैविक उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए किसी स्थानीय ऋणदाता के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पारदर्शिता की यह अनूठी प्रणाली आज पूरे देश में डिजिटल गवर्नेंस का सबसे बड़ा और सफल उदाहरण बनकर उभरी है।

58 लाख से अधिक डिजिटल फार्मर आईडी तैयार

फार्मर रजिस्ट्री के मामले अब मध्य प्रदेश देश में नंबर एक

भोपाल

मध्यप्रदेश फार्मर रजिस्ट्री के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित विशेष कैंपों और आधुनिक सर्वे तकनीक के उपयोग के साथ अब तक 58 लाख से अधिक किसानों की विशिष्ट और प्रमाणित फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। इसके साथ ही स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 68 लाख 11 हजार संपत्ति अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं। योजना का 98% कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।

डिजिटल भू-अभिलेख की इस अनूठी पहल से भूमि संबंधी आपसी विवादों

68.11 लाख संपत्ति अधिकार अभिलेख भी तैयार किए जा चुके

में भारी कमी आएगी, कृषि निवेश को भारी प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों को प्रमाणित भू-अधिकार उपलब्ध होने से बैंक से लोन लेने में किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

'विंड्स' कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म स्तर पर होगी वर्षा की सटीक मैपिंग

हर ग्राम पंचायत में स्थापित किए जाएंगे स्वचालित रेनगेज, तहसील स्तर पर होंगे आटोमैटिक वेदर स्टेशन

भोपाल

मध्यप्रदेश सरकार पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश में पहली बार मौसम निगरानी का सबसे हाइटेक मॉडल लागू करने जा रही है। इसके तहत हर ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित रेनगेज और प्रत्येक तहसील स्तर पर अत्याधुनिक आटोमैटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। क्रांतिकारी विंड्स कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हो रही इस नई तकनीकी व्यवस्था से न केवल मौसम की सटीक और तात्कालिक भविष्यवाणी संभव होगी, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर वर्षा की प्रामाणिक मैपिंग भी की जा सकेगी। इससे किसानों को कब बोवनी करनी है, कब सिंचाई करनी है और कब कटाई करनी है, आदि बातों के सटीक पूर्वानुमान से सही समय निर्धारित करने में आसानी होगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले अन्नदाताओं के लिए राहत एवं मुआवजा वितरण की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और मानवीय बनाया है। पिछले ढाई वर्षों के कार्यकाल के दौरान विभिन्न आपदाओं से प्रभावित हुए 24 लाख 14 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में ₹2,106 करोड़ से अधिक की राहत व मुआवजा राशि का सीधा और त्वरित अंतरण किया गया है।

किसानों को मिलने वाले मुख्य लाभ

त्वरित क्लेम निपटाराः हर ग्राम पंचायत में रेनगेज लगने से नुकसान का सटीक आकलन होगा और दावों में होने वाली देरी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।

मौसम का एडवांस अलर्टः तहसील स्तर पर स्वचालित वेदर स्टेशन से आंधी, तूफान, भारी बारिश की सटीक चेतावनी किसानों को समय पर मिलेगी।

सीधे खाते में भुगतानः आपदा राहत व फसल बीमा की स्वीकृत राशि बिना किसी कमीशन या विसंगति के सीधे हितग्राही के बैंक खाते में ट्रांसफर होंगी।

कृषक कल्याण वर्ष 2026
10 मुख्य नीतिगत आयाम

किसानों की आय बढ़ाने से लेकर एआई आधारित खेती और वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने की रणनीति... कृषक कल्याण वर्ष-2026 के लिए प्रदेश सरकार ने 10 बड़े नीतिगत आयाम तय किए हैं। फोकस है खेती को लाभ का कारोबार बनाने के साथ कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाना...

1. **आधुनिक कृषि और फसल विविधीकरण** पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर उच्च मूल्य वाली खेती को बढ़ावा।
2. **आय में वृद्धि और मूल्य स्थिरीकरण** उपज का सही दाम और बाजार के उतार-चढ़ाव से किसानों की सुरक्षा।
3. **प्राकृतिक और जैविक खेती का विस्तार** हर ब्लॉक में जैविक खेती के विशेष क्लस्टर्स का निर्माण।
4. **जल और मृदा संरक्षण** सिंचाई परियोजनाओं का तीव्र विस्तार और उन्नत जल प्रबंधन।
5. **कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन** पराली और वेस्ट से सीएनजी व बायोगैस का निर्माण।
6. **मंडियों का आधुनिकीकरण** प्रदेश की कृषि उपज मंडियों को ई-नाम और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना।
7. **वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग** जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार तैयार करना।
8. **अनुसंधान और नवाचार** एआई, ड्रोन और स्मार्ट फार्मिंग तकनीकों का प्रयोगशाला से खेत तक हस्तांतरण।
9. **कृषि पर्यटन को बढ़ावा** ग्रामीण संस्कृति और कृषि लोकरंग के माध्यम से आय के नए साधन।
10. **डिजिटल गवर्नेंस** फार्मर रजिस्ट्री और 100% पारदर्शी व्यवस्था को धरातल पर लागू करना।

D-11076/26

बाय इन्विटेशन... गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की जुबानी जानें प्राकृतिक खेती के सारे वैज्ञानिक राज

कैंसर, बीपी, डायबिटीज से जैसी घातक बीमारियों से बचना है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी, यही धरती मां को जहर मुक्त बनाएगी: आचार्य देवव्रत

आचार्य देवव्रत
गुजरात के राज्यपाल

जब मैं कुरुक्षेत्र गुरुकुल की 180 एकड़ भूमि पर रासायनिक खाद डालता था, तो मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। केंचुए गायब थे और पैदावार लगातार गिर रही थी। तब मैंने एक फैसला किया- धरती मां को यूरिया और डीएपी के जानलेवा जहर से मुक्त करने का। आज मैं अपने उसी सफल अनुभव से आपको बताने आया हूँ कि यूरिया और कीटनाशक डालकर हम खेतों में अन्न नहीं, बल्कि धीमा जहर उगा रहे हैं। क्या आपने कभी पंजाब से बीकानेर जाने वाली उस 'कैंसर ट्रेन' के बारे में सुना है? वह ट्रेन कोई साधारण गाड़ी नहीं, बल्कि खेतों में अंधाधुंध डाले गए रसायनों का खौफनाक सच है, जो हर रोज मासूम जिंदगियों को कैंसर के जरिए मौत के मुंह में धकेल रही है।

प्राकृतिक खेती कोई पुराना ढर्रा या पिछड़ी हुई पद्धति नहीं है। यह एक परम और शुद्ध विज्ञान है जो आने वाली नस्लों को नया जीवन दे सकता है। अक्सर हमारे किसान भाई एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। वे जैविक और प्राकृतिक खेती को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में जमीन-आसमान का अंतर है। श्रीलंका की बर्बादी का कारण उसका अधूरा और गलत जैविक मॉडल था। जैविक खेती बेहद खर्चीली है। आम किसान इसका खर्च नहीं उठा सकता।

एक देसी गाय का गोबर और गोमूत्र ही है असली ताकतः इसके विपरीत, मेरी प्राकृतिक खेती पूरी तरह शून्य लागत पर आधारित है। इसमें बाजार से एक ढेला भी नहीं खरीदना पड़ता। एक देसी गाय के मात्र 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा मित्र जीवाणु होते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। जब हम गोबर, गोमूत्र, बेसन और गुड़ को मिलाकर जीवामृत तैयार करते हैं और उसे खेतों में डालते हैं, तो मिट्टी में सोए हुए करोड़ों केंचुए जाग जाते हैं। वे जमीन में नीचे से ऊपर तक आवाजाही करके मिट्टी को बिना ट्रैक्टर चलाए खुद-ब-खुद पोला (नरम) और उपजाऊ बना देते हैं। इससे फसलों की पैदावार तो बढ़ती ही है, साथ ही मल्चिंग (आच्छादन) के कारण खेतों में नमी बनी रहती है, जिससे सिंचाई में आधा पानी खर्च होता है। यह खेती पर्यावरण को बचाती है और इंसानों को कैंसर, डायबिटीज व बीपी जैसी भयानक बीमारियों से दूर रखती है।

मध्यप्रदेश सरकार भी कर रही है प्राकृतिक खेती को

- प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को प्रति गाय ₹900 प्रति माह की सहायता।
- जीवामृत तैयार करने के लिए आवश्यक उपकरण व ड्रम खरीदने हेतु ₹7,500 की मदद।
- पारदर्शिता और सीधे लाभ के लिए मप्र प्राकृतिक खेती पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन।
- सभी 313 विकासखंडों में विशेष क्लस्टर बनाकर किसानों को निःशुल्क व्यावहारिक प्रशिक्षण।
- उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए मंडियों में विशेष काउंटर व डिजिटल प्लेटफॉर्म।

"राजनीति से रिटायरमेंट के बाद मैं स्वयं प्राकृतिक खेती करूंगा। यह आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने का पवित्र ईश्वरीय कार्य है।" - **श्री अमित शाह,**
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री